न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
20/2020	2020/00042	23.11.2020	24.02.2021

श्री कुशलचन्द जणवा पिता मोतीलाल जी जणवा निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

–प्रार्थी/अपीलान्ट

–: बनाम :–

जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश कुमावत, श्री गोपाल कुमावत एवं श्री जसपाल ऑजना अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पैरोकार सरकार रसद

–: आदेश :–

दिनांक :– 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2019 को अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान की जॉच श्री रामचन्द्र शेरावत प्रवर्तन अधिकारी एवं धर्मेन्द्र रोत द्वारा की गई, जिसमें पॉज मशीन में दर्ज सूचना के अनुसार उचित मूल्य दुकान में 31.25 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेहूँ होना चाहिये था, लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर 25 क्वींटल गेहुँ ही पाया गया एवं अपीलार्थी के स्टॉक में पड़े 6.25 क्वींटल गेहुँ कम पाये गये हैं तथा अपरीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर कस संधारण नहीं किया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा चीनी का इन्द्राज भी पॉस मशीन में कम होना पाया गया जिस कारण अपीलान्ट को राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8 एवं 17 घ के उल्लघंन का दोषी मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय होने के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जरिये आदेश दिनांक 14.10.2019 को निलंबित किया गया तथा अपीलार्थी को जारी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

कारण बताओं नोटीस दिनांक 21.10.2019 के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.11.2019 के असंतुष्टि पूर्ण मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जरिये प्रकरण संख्या 249/2020 निर्णय दिनांक 01.10.2020 को बिना किसी आधार के प्रार्थी अपीलान्ट का उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी (FPS – 15479) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूमि राशि जप्त करने का आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपीलार्थी यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान पर भौतिक सत्यापन करने पर 6.23 क्वींटल गेहुँ कम होना पाया गया था, किन्तु ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार गोदाम में 31.25 क्वींटल गेहुँ था। प्रार्थी/अपीलार्थी को कुल आवंटित 104.45 क्वींटल है जिसमें ठेकेदार द्वारा कभी तो पुरा गेहुँ देता था तथा कभी कम गेहुँ दिया जाता तथा पूरे बिल काट दिये जाते इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार के 3 किलो गेहुँ प्रति क्वींटल कम देने संबंधी सुचना भी रसद विभाग को प्रदान की गई थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से यह समस्या अपीलार्थी को कारीत हुई है।
2. यह कि अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान पर भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर खुले बिखरे गेहुँ का समुचित तौल नहीं किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नियुक्त उचित मुल्य दुकानदार स्वरूपगंज–II अन्तरित की गई सामग्री अन्तर्गत 31.25 क्वींटल गेहुँ की मात्रा पूर्ण रूप से अन्तरित की गई थी अर्थात् कोई गेहुँ की मात्रा कम नहीं पाई गई।
3. यह कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध स्टॉक के संबंध में स्टॉक पंजीका का संधारण आनलाईन प्रक्रिया के चलते नहीं की जा रही थी।
4. यह कि अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध सामग्री एवं उचित मूल्य का अंकन सदैव किया जाता रहा है।
5. यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध रसद विभाग द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 30.09.2020 के अनुसार अपीलार्थी के यहाँ मात्र 6.25 क्वींटल गेहुँ कम होने के आधार पर निर्णय किया जाना बताया जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य 4 कारणों का उल्लेख करते हुए कार्यवाही अमल में लाया जाना संदेहप्रद है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच एवं अन्य कार्यवाहीयां दिनांक 14.10.2019 से प्रकरण में पारीत आदेश दिनांक 30.09.2020 एवं 01.10.2020 के मध्य एक वर्ष का समय लिया गया जो न्याय एवं नियमों के विपरीत रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 एवं 30.09.2020 तथा 01.10.2020 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद सूचना तामिल अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की ओर से पैरोकार सरकार रसद मय रिकार्ड पत्रावली के साथ स्वयं उपस्थित हुए जिस पर दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये की अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही राजनैतिक द्वैषतापूर्ण रही है तथा जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 12.10.2019 को की गई जांच के विषय में बिना किसी यृक्ति–युक्त जांच के निलंबन आदेश क्रमांक 244 दिनांक 14.10.2019 को जारी कर दिया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 21.10.2019 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.11.2019 पर विचार किये बिना ही मनमाने तरीके निर्णय आदेश दिनांक 30.09.2020 एवं

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 01.10.2020 को परीत किया गया जो एकतरफा कार्यवाही संदृश्य होने से स्वत अपास्त योग्य है।

इसी प्रक्रम में दौराने बहस पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश एवं पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 एवं 30.09.2020 तथा 01.10.2020 को समुचित बताते हुए निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान का संचालन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के तहत् अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने से विधिक आधारों पर निरस्त किया गया है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेंमों दिनांक 02.11.2020 जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2019 एवं 30.09.2020 तथा 01.10.2020 एवं कारण बताओं नोटिस दिनांक 21.10.2019 तथा जवाब नोटिस दिनांक 25.11.2019 के साथ–साथ पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध रही है क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही दिनांक 12.10.2019 के आधार पर ही अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश दिनांक 14.10.2019 को जारी किया गया तथा पर्चा मौका दिनांक 12.10.2019 के उपरान्त दिनांक 21.10.2019 को अपीलाथ्र्ी के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना तथा उक्त नोटीस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.11.2019 के अनुसार सुविधा के सन्तुलन को ध्यान में लाए बिना ही विवादित आदेश जांच कार्यवाही दिनांक 12.10.2019 के पश्चात् दिनांक 30.09.2020 अर्थात लगभग 1 वर्ष की अवधी उपरान्त अमल में लाया जाना अन्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि वक्त मौका निरीक्षण दिनांक अपीलार्थी के यहाँ से कमी उचित मूल्य सामग्री मात्रा 31.25 क्वींटल के स्थान पर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 30.09.2020 अन्तर्गत 6.25 क्वींटल गेहुँ की कमी होने तथा अन्य आक्षेप की स्टॉक पंजीका का संधारण एवं मूल्य सूचि प्रकाशन जैसे तथ्यों का समावेश नहीं किया जाना तथा अपीलार्थी के द्वारा वैकल्पिक दुकानदार स्वरूपगंज द्वितीय को अन्तरित स्टॉक 31.25 क्वींटन पूर्ण अन्तरित किया जाना इत्यादि तर्क सुविधा के सन्तुलन अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में निरूपित होते है जिससे अपीलार्थी के विरूद्ध अध्यारोपित दोषसिद्धी का अभाव रहा है। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 249/2019 में जारी आदेश दिनांक 14.10.2019 एवं 30.09.2020 तथा 01.10.2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15479) जमा प्रतिभूति राशि के साथ बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner